न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 23/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/25

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स:-

1. श्रीमती जयबाला निनामा पत्नि श्री प्रभुलाल निनामा (ऋणी)

(अ) वार्ड नं. 6 तलाब पाडा, गांव – कानेला, देवदा, बांसवाडा

(ब) खसरा नं. 4032 गांव – कानेला, पटवार मण्डल देवदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा

2. श्री प्रभुलाल निनामा पिता श्री दलाजी निनामा (सहऋणी)

(अ) वार्ड नं. 6 तलाब पाडा, गांव – कानेला, देवदा, बांसवाडा

(ब) खसरा नं. 4032 गांव – कानेला, पटवार मण्डल देवदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 05-04-2023

प्राधिकृत अधिकारी, आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, बान्च कार्यालय दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिवान हाउसिंग फायनेंस लि. द्वारा 1- श्रीमती जयबाला निनामा पत्नि श्री प्रभुलाल निनामा वार्ड नं. 6 तलाब पाडा, गांव – कानेला, देवदा, बांसवाडा (ऋणी) 2- श्री प्रभुलाल निनामा [illegible] श्री [illegible]लाजी निनामा (सहऋणी) को दिनांक 29-01-2021 को 9,18,969 (नौ ला[illegible] उनहत्तर रुपया) ऋ[illegible] स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा [illegible]

-श्री हिरेन पटेल Adv.

की थी। डी.एच.एफ.एल. द्वारा आईसीआईसीआई होम फायनेंस कम्पनी लि. के साथ प्राप्तियों के कार्यभार के लिये करार किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात् नियमानुसार उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर आईसीआईसीआई होम फायनेंस द्वारा अप्रार्थीगण का खाता सं. LHUPDP00001289279 दिनांक 10–05–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 01–05–2022 तक कुल बकाया राशि 885949 रू.** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्रीमती जयबाला निनामा पत्नि श्री प्रभुलाल निनामा की आवासीय सम्पत्ति खसरा नंबर 4032 गॉव कानेला, पटवार मण्डल देवदा, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा में स्थित है जो माप में लगभग 2000 वर्ग** फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में विक्रेता की कृषि भूमि, पश्चिम में नानका का घर, उत्तर में सडक एवं दक्षिण में विक्रेता की कृषि भूमि** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त एवं कम्पनी मामलो के मन्त्रालय की [illegible] सं. एस 01282(ई) दिनांक 10.11.2003 के अनुसार आई सी आई सी [illegible] लिमिटेड, मुम्बई को वित्तीय संस्था माना गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

श्री हिरेन पटेल Adv.

अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **16–05–2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **27.03.2018** को रु. **9,18,969** रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 20–01–2023 को जारी किया। अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 17–02–2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ एवं अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस लेने से इन्कार करने पर दिनांक 29.03.2023 को बाद चस्पा तामील प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 05–04–2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की [illegible] प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि [illegible] राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 05–04–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested